न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 17/2020
जी.सी.एम.एस. : 2020/00256

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
सुरेश पुत्र मदनलाल, जाति हरिजन, निवासी झूठा, तहसील रायपुर, जिला पाली		राजस्थान राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रायपुर, तहसील कार्यालय रायपुर, जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह चौहान
रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांक - 18.11.21

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार रायपुर के प्रकरण संख्या 27/2020 सरकार बनाम सुरेश अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2020 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं सरकारी पैरोकार सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने कथन बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर किसी भी प्रकार की जांच किये बिना अपीलाट का कब्जा खसरा नम्बर 1107 में दर्शाया। जबकि प्रार्थी का मकान व बाड़ा ग्राम झूठा के खसरा नम्बर 834 में है, जो कि सिवायचक न होकर आबादी भूमि है। खसरा नम्बर 834 एवं 1107 की सीमाएं लगती हुई होने एवं अपीलांट का मकान खसरा नम्बर 1107 की सीमा पर स्थित होने के कारण पटवारी हल्का का यह दायित्व बनता था कि वे मौके पर मुस्तकिल बिन्दू को आधार बनाते हुए सीमांकन की कार्यवाही करते तदोपरांत यदि अपीलांट का कब्जा खसरा नम्बर 834 में पाया जाता तो सन्दर्भित नियमों के तहत कार्यवाही की जा सकती थी। किन्तु पटवारी हल्का द्वारा ऐसा नहीं किया गया तथा बिना किसी आधार के यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस बाबत अपीलांट द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायायल द्वारा उस पर गौर किये बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। इसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

अति० जिला कलेक्टर, पाली

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस एवं दौराने बहस प्रस्तुत किये गये तर्कों पर मनन किया है। पटवारी हल्का झूठा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर ग्राम झूठा के खसरा नम्बर 1107 की 1 बीघा भूमि पर अपीलांट का कब्जा अर्धपक्का मकान व दीवार बताते हुए अतिक्रमण करने के कारण अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये। नियत तारीख पेशी पर अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक टीम का गठन किया गया और मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। उक्त टीम द्वारा दिनांक 30.07.2020 को प्रश्नगत भूमि का मौका निरीक्षण किया गया तथा खसरा नम्बर 1107 मे अपीलांट का अतिक्रमण बताया। मौका फर्द रिपोर्ट पर टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर अंकित है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार किसी भी मौका जांच रिपोर्ट में उससे प्रभावित पक्षकारों की उपस्थिति अनिवार्य है किन्तु इस प्रकरण में उक्त मौका जांच पक्षकारों की उपस्थिति अथवा किसी मौजीज व्यक्तियों की उपस्थिति में तैयार की गई, इस तथ्य का अभाव है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम झूठा के खसरा नम्बर 834 में अपीलांट के कब्जे को लेकर पटवारी हल्का झूठा तथा ग्राम विकास अधिकारी झूठा द्वारा दिनांक 27.07.2020 को संयुक्त रूप से जांच की गई। जिसमें अपीलांट का मकान ग्राम पंचायत झूठा की आबादी के खसरा नम्बर 834 में निर्मित होना अंकित किया है। यह तथ्य प्रश्नगत प्रकरण के तथ्यों से विरोधाभासी है। जब स्वयं पटवारी ने दिनांक 27.07.2020 को यह स्पष्ट किया कि अपीलांट का कब्जा खसरा नम्बर 837 में है तो दिंनाक 30.07.2020 को अपीलांट का कब्जा खसरा नम्बर 1107 में किन आधारों पर दर्शाया गया है, यह स्पष्ट नहीं है। विकास अधिकारी झूठा एवं पटवारी हल्का झूठा की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को कहीं भी रेखांखित या परिक्षित नहीं किया है। इन समस्त तथ्यों से अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही संदेहास्पद प्रतीत होती है। इस कारण प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 27/2020 में दिनांक 31.07.2020 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे एक टीम का गठन कर अपीलांट की उपस्थिति में प्रश्नगत भूमि का सीमांकन करावे। उक्त टीम में ग्राम विकास अधिकारी झूठा को भी आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जावे। यदि अपीलांट का कब्जा सरकारी भूमि में पाया जाता है तो इसकी स्पष्टता पश्चात अधीनस्थ न्यायालय विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करे। नायब तहसीलदार रायपुर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 18.11.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)